पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 30.08.2017 ।

8 साल पुराने मामले में वांछित आरोपी कोटा जेल से गिरफ्तार,

2 दर्जन मामले है दर्ज, हत्या के मामले में काट रहा है, आजीवन कारावास की सजा

पुलिस थाना कोतवाली ने की कार्यवाही में

पुलिस थाना कोतवाली में आज दिनांक 30, अगस्त। 2017 को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने वर्ष 2009 में के.सी. कॉम्पलेक्स से मोटरसाइकिल चोरी प्रकरण में वांछित वाहन चोर सरकारी स्कूल के पास थाना गुमानपुरा, कोटा निवासी संतोष

कुमार (40) पुत्र नन्दकिशोर को केन्द्रीय कारागृह कोटा से प्रोडक्शन वारण्ट पर गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई वर्षों के पैण्डिग प्रकरणों के निस्तारण के दौरान पता चला कि दिनांक 09.09.2009 को के.सी. कॉम्पलेक्स के बाहर से चोरी मोटरसाइकिल के प्रकरण में वांछित मुल्जिम कोटा निवास संतोष कुमार कोटा का रहने वाला है। चोरी गई मोटरसाइकिल संतोष कुमार व अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस थाना दादाबाड़ी, कोटा ने दिनांक 15.10.10 को डकैती की योजना बनाते समय पकड़े जाने के दौरान बरामद की थी, उस वक्त से ही आरोपी प्रकरण में वांछित चल रहा था, जिसको सहायक उपनिरीक्षक बलवीर खांन के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.08.17 को केन्द्रीय कारागृह, कोटा से जरिये प्रोडक्शन वारण्ट गिरफ्तार किया है।

अभियुक्त संतोष कुमार से पूछताछ पर पता चला कि इसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, चाकुबाजी, शराब तस्करी इत्यादि गंभीर प्रवृति के 22 प्रकरण दर्ज है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

बेटी से दुराचार करने वाला आरोपी पिता गिरफतार

पुलिस थाना पुष्कर के प्रकरण संख्या 230/2017 धारा 376,323 भादस व 3/4 पोक्सो एक्ट मे आरोपी राजेन्द्र सैनी पुत्र श्रवण जाति माली उम्र 38 साल निवासी संतोषी माता की ढाणी बडी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर को प्रकरण मे मतलूब होने से कैलाशचन्द उनि व सुनील कुमार मंगलचन्द द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसके घर से पकडा गया तथा बाद तफतीश जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर गिरफतार किया गया।

फरार तीन स्थाई वारंटी गिरफ्तार

प्रेस नोट दि. 30.8.17

पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे स्थाई वारंटी, भगौड़े आदि की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान के दौरान थानाधिकारी कि.गंज अजमेर द्वारा वर्ष 2012 से फरार चल रहे स्थाई गिरफतारी वारंट रामचन्द्र उर्फ रामू पुत्र प्यारेचंद जाति रेगर निवासी समेलिया थाना भीम राजसंमद हाल टैगोर कॉलोनी अजमेर को गिरफतार किया गया। अभियुक्त के विरूध थाना पर वर्ष 2012 अवैध शराब बेचने का प्रकरण दर्ज था उक्त काफी समय फरारी काट रहा था ट्रक पर ड्राईवरी

का काम करने लग गया था जिसकों भगवासिंह व जगवीरसिंह . ने साईक्लोन सैल के रणवीरसिंह की मदद से गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज में स्थाई गिरफतारी वारंटी बहादुर पुत्र मंगला जाति चीता मेहरात निवासी रातीडांग वैशाली नगर अजमेर जो कि चैक बाउंस के प्रकरण में फरारी काट रहा था जिसको गोपालसिंह कानि व शिवराज कानि द्वारा गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।

पुलिस थाना क्शिचनगंज में स्थाई गिरफतारी वारंटी करीब 31 वर्षो से फरार चल रहा स्थाई गिरफतारी वारंट मानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी महबूब की कोठी कि.गंज अजमेर हाल जयपुर को श्री उगमाराम सउनि, श्री गोपालसिंह कानि व प्रदीपसिंह कानि द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया गया अभियुक्त के विरूध वर्ष 1986 में एक्सीडेन्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था तब से अभियुक्त न्यायालय से फरार चल रहा था।

शांति भंग के आरोप में 24 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज द्वारा शांतिभंग के आरोप में 1. अहसान खान पुत्र अब्दुल कयूम जाति मुसलमान उम्र 26 साल नि. न्यू बस्ती बिछबागान थाना सर्किल हवाडा 9 कलकत्ता 2. नाजिम पुत्र जबुर जाति मुसलमान उम्र 22 साल नि. फुरेमाबाद मोहल्ला बलालनगर 3. मोहम्मद शकिल पुत्र नामालूम जाति मुसलमान उम्र 40 साल नि. गली न. 9 गामडी मस्जिद के पास 53 जमनापार पुरानी दिल्ली 4. बाबू पुत्र हनीफ जाति हिन्दू उम्र 25 साल नि. गांव सियालपेट कर्नाटक 5. हैदरअली पुत्र अदर अली जाति मुसलमान उम्र

26 साल नि. अम्बा बावडी अन्दरकोट थाना दरगाह अजमेर 6. राकेश पुत्र प्रकाश जाति सिलावट उम्र 22 साल नि. भाई का बगीचा तुलसी मोहल्ला पुलिस थाना मेलबाग एम.पी. 7. अर्जुन पुत्र रामन जाति कबली उम्र 45 साल नि. सलेपेट थाना सलेपेट जिला गुलबरगा कर्नाटक 8. अनिल पुत्र टीकम जाति धोबी उम्र 22 साल नि. रेण्डापल गुर्जर थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर 9. मनोज पुत्र रतनगिरी जाति गुसाई उम्र 55 साल नि. करोलबाग दिल्ली थाना देशबन्दु रोड 10. जगतराम पुत्र मगनलाल जाति राजपूत उम्र 30 साल नि. बाराबंकी जिला वराईज थाना सुनेवा 11. शकील अहमद पुत्र जहीर अहमद जाति मुसलमान उम्र 32 साल नि. जयपुर जोरवाडा संजय नगर थाना झोटवाडा 12. यामीन पुत्र यासिन जाति मुसलमान उम्र 40 साल नि. ढोल बाजार नासिक महाराष्ट्र हाल अन्दरकोट दरगाह अजमेर 13. इब्राहिम पुत्र उस्मान जाति पठान उम्र 65 साल नि. कच्छभुज नई सुनपुरी गांधीधाम गुजरात को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1– गफूर खां पुत्र श्री चांद जाति कायमखानी उम्र 60 साल निवासी गांव बीर पुलिस थाना श्रीनगर अजमेर 2– श्री फिरोज पुत्र श्री गफूर खां जाति कायमखानी उम्र 32 साल निवासी गांव बीर पुलिस थाना श्रीनगर अजमेर 3–श्रीमति गीता देवी पत्नि स्व. श्री नवलकुमार जाति सांसी उम्र 45 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 4–सुश्री रेणूका पुत्री स्व. श्री नबलकुमार जाति सांसी उम्र 24 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 5–श्री भूषण उर्फ गोटू पुत्र स्व. श्री नबल कुमार जाति सांसी उम्र 26 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 6–श्री धर्मेन्द्र उर्फ सन्नी पुत्र स्व. श्री नबलकुमार जाति सांसी उम्र 20 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 7–श्री गौरव पुत्र स्व. श्री नबल कुमार जाति सांसी उम्र 18 साल निवासी सांसी

बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

पुलिस थाना केकडी में हनुमान हैड कानि0 द्वारा गैरसायल 1. नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र प्रहलाद जाति तेली उम्र 35 साल 2.गोपाल पुत्र लादु जाति जाट उम्र 40 साल 3.राकेश पुत्र कैलाष जाति जाट उम्र 25 साल 4.श्रवण पुत्र बन्नालाल जाति जाट उम्र 20 साल 5.मनोज पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र 19 साल निवासीगण राजपुरा रोड केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना मसुदा में कालूराम पुत्र उगमा राम जाति खटीक उम्र 24 साल निवासी शेरगढ थाना मसूदा जिला अजमेर 2. श्री महादेव पुत्र प्रेमचन्द जाति जाट उम्र 21 साल निवासी शेरगढ थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।